संख्या–2533 / 9–आ–2–2002

प्रेषक,

जे.एस.मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण।

आवास अनुभाग–2 लखनऊः दिनाँक–03 सितम्बर, 2002

विषय : विभिन्न समाचार पत्रों में आवास विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों की दरों का निर्धारण किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1395(1) / 9–आ–2–2002, दिनांक–30–7–2002 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. समाचार पत्रों में आवास विकास परिषद, विभिन्न विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन डी.ए.वी.पी. की दरों अथवा सूचना विभाग के द्वारा तय की गई दरों से न्यूनतम के आधार पर किए जाने संबंधी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक–30–7–2002 के अनुक्रम में आवास विकास परिषद, कानपुर, बरेली, गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों से संदर्भ प्राप्त हुयें है कि अति महत्व एवं आकस्मिक प्रकृति के प्रकरणों में समाचार पत्रों द्वारा उपरोक्त दर पर प्राथमिकता पर विज्ञापन प्रकाशित करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है।

3. आवास विकास परिषद एवं विभिन्न प्राधिकरणों के द्वारा किए गए अनुरोध के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर इस विषय में पुनः सम्यक रूप से विचार किए जाने के उपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य रूप से आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों से निर्गत होने वाले विज्ञापनों पर उपरोक्त व्यवस्था लागू रहेगी। परन्तु आवास एवं विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के व्यवसायिक हितों की दृष्टि से अथवा शासन के किसी निर्देश अथवा योजना के कार्यान्वयन हेतु अल्प अवधि में प्रचार–प्रसार की आवश्यकता होने या अन्य किसी स्थानीय आकस्मिक प्राथमिकता के दृष्टिगत व्यवसायिक दर पर विज्ञापन निर्गत करने हेतु आवास आयुक्त अथवा उपाध्यक्ष्ज्ञ, विकास प्राधिकरण के स्वयं के विवेक को सीमित करने की शासन की कोई मंशा नहीं है। वरन् मुख्य अभिप्राय यह है कि अत्यंत आवश्यक एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ही व्यवसायिक दर पर विज्ञापन दिया जाए अन्यथा नहीं, ताकि परिषद एवं प्राधिकरणों के कार्यसंचालन में मितव्ययिता हो सके।

4. उपरोक्त के आलोक में दिनांक–30.7.2002 का शासनादेश संशोधित माना जायेगा। कृपया तदनुसार अवगत होते हुए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

जे.एस.मिश्र
सचिव।

संख्या व दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।

3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।